मानक प्रचालन कार्यविधि

लोक निर्माण विभाग,
उत्तराखण्ड

देहरादून, उत्तराखण्ड

गोरखपुर एनवायरन्मेन्टल एक्शन ग्रुप,
गोरखपुर

नोट

मानक प्रचालन कार्यविधि

लोक निर्माण विभाग,

उत्तराखण्ड

देहरादून, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड राज्य

विवरणिका

1. संदर्भ

2. उद्देश्य

3. पूर्व तैयारी क्रिया
   - 3.1 संस्थागत भूमिका एवं जिम्मेदारियों का निर्धारण
   - 3.2 जोखिम आकलन
   - 3.3 संसाधन मानचित्रण
   - 3.4 सुरक्षात्मक उपाय
   - 3.5 क्षमतावर्धन व माकड्रिल का आयोजन

4. सूचना का प्रवाह व क्रियाशीलता हेतु मार्ग निर्देश

5. दिशा-निर्देशन एवं समन्वयन
   - 5.1 पहले से चेतावनी मिलने की स्थिति में सक्रियता
   - 5.2 अल्प अवधि की चेतावनी अथवा चेतावनी न मिलने की स्थिति में सक्रियता

6. आपदा के दौरान की जाने वाली गतिविधियों की प्रक्रिया
   - 6.1 प्रथम चरण
   - 6.2 द्वितीय चरण

7. आपदा के बाद की जाने वाली गतिविधियों की प्रक्रिया

8. चेकलिस्ट

1. संदर्भ

लोक निर्माण विभाग (पी0डब्ल्यू0डी0) राज्य में सड़कों, पुलों और सरकारी भवनों के नियोजन, निर्माण और रख–रखाव हेतु उत्तरदायी है। राज्य की सीमाओं से चीन एवं नेपाल की सीमा लगे होने के कारण सुरक्षात्मक दृष्टिकोण से यह राज्य राष्ट्रीय महत्व रखता है और इस कारण सीमावर्ती इलाकों में राज्य एवं जनपद मार्गों का रख–रखाव करने वाली लोक निर्माण विभाग की जिम्मेदारी आपदा के समय अधिक बढ़ जाती है। क्योंकि आपदा के समय जब चारों तरफ अफरा–तफरी की स्थिति रहती है, उस समय लोक निर्माण विभाग की यह विशिष्ट जिम्मेदारी होती है कि वह सभी लोगों को आवागमन हेतु सुरक्षित मार्ग उपलब्ध कराये। लोक निर्माण विभाग समय–समय पर उत्तराखण्ड सरकार द्वारा जारी किये गये दिशा–निर्देशों, कायदे–कानूनों के अनुसार कार्य करती है और राज्य में विभाग के बहुत से कार्य संविदा के आधार पर होते हैं। इन्ही दिशा–निर्देशों को आधार बनाकर विभाग की मानक प्रचालन कार्यविधि को तैयार किया जा रहा है ताकि बड़ी से बड़ी आपदा के समय विभाग गुणवत्तापूर्ण तरीके से कार्य को सम्पन्न कर सके और आपदा के प्रभावों को कम करने में अपनी सक्रिय भागीदारी कर सके।

2. उद्देश्य

विभाग की मानक प्रचालन कार्यविधि तैयार करने के निम्न विशिष्ट उद्देश्य हैं –

- राष्ट्रीय, राज्य एवं जनपद मार्गों का समुचित रख–रखाव सुनिश्चित करते हुए आपदाओं के समय यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाये रखना।
- विभागीय मानव एवं भौतिक संसाधनों की पहचान कर आपदाओं के समय उनका बेहतर उपयोग करना।
- विभाग के अन्दर विभिन्न इकाईयों जैसे– ए0डी0बी0, ए0डी0बी0 आपदा, वर्ल्ड बैंक, पी0एम0जी0एस0वाई0 एवं राष्ट्रीय राजमार्ग के बीच समन्वय स्थापित करना।

3. पूर्व तैयारी क्रिया

विभाग द्वारा पूर्व तैयारी क्रिया के अन्तर्गत निम्न गतिविधियां सम्पादित की जायेंगी–

3.1 संस्थागत भूमिका एवं जिम्मेदारियों का निर्धारण

- राज्य आपदा प्रबन्धन विभाग के शासनादेश[1] के आधार पर जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण के निर्देशन में मई माह तक डिवीजन के अधिशासी अभियन्ता फील्ड स्टाफ को मिलाकर विभाग के अन्दर डिवीजन स्तर पर आपदा प्रबन्धन टीम का गठन कर प्रत्येक में एक–एक नोडल अधिकारी की तैनाती करेंगे ताकि अन्य विभागों के साथ समन्वय स्थापित किया जा सके। इस आपदा प्रबन्धन टीम में अधिशासी अभियन्ता, सहायक अभियन्ता तथा दो कनिष्ठ अभियन्ता होंगे।

- डिवीजन स्तर पर अधिशासी अभियन्ता एवं जनपद स्तर पर आपदा नोडल अधिकारी अधीक्षण अभियन्ता अप्रैल माह तक अपने अधीनस्थ सभी विभागीय अधिकारियों/कर्मचारियों के नाम, पते व सम्पर्क नम्बर सहित सूची तैयार करेंगे, उसे अद्यतन करते हुए जिला प्रशासन को सौप देंगे। इसके साथ ही कौन सा मार्ग किस ए0ई0, जे0ई0 व बेलदार के अधीन आता है, इसकी भी विस्तृत सूची सम्पर्क नम्बर सहित डिवीजनल स्तर पर अधिशासी अभियन्ता तैयार कर डीएम कार्यालय को सौंपेंगे।

- राज्य मुख्यालय के निर्देशानुसार क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता मार्च माह तक पूरे जोन को पांच या छह सेक्टरों में विभाजित कर सहायक व

1 Govt. order no. 1501/XVIII-(2)/16-13(5)/2007 dated 21 June, 2016

कनिष्ठ अभियन्ताओं को उसकी जिम्मेदारी सौंप देंगे ताकि आपदा की स्थिति में प्रभावी कार्य किया जा सके।

- राज्य स्तर पर विभागीय नोडल अधिकारी तथा जनपद स्तर पर अधिशासी अभियन्ता अप्रैल मई माह में जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण द्वारा निर्मित व्हाट्सअप ग्रुप से जुड़ जायेंगे व नियमित सम्पर्क में रहेंगे ताकि समय से सूचनाएं मिल सकें।

3.2 जोखिम आकलन

- विभाग के राज्य आपदा नोडल अधिकारी के निर्देशानुसार कनिष्ठ अभियन्ता मई माह तक एक दो मानसून पहले बनी सड़कों के संवेदनशील क्षेत्रों को चिन्हित कर उसकी सूचना अपने डिवीजन के अधिशासी अभियन्ता को सौंप देंगे।

- राज्य व जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण के निर्देशानुसार विभागीय नोडल अधिकारी के सहयोग से सहायक अभियन्ता व कनिष्ठ अभियन्ता मई माह तक एक दो मानूसन पहले बनी राज्य मार्गों, मुख्य जिला मार्गों, अन्य जिला मार्गों एवं ग्रामीण मार्गों के संवेदनशील स्थलों की पहचान करेंगे और उसका रोडमैप तैयार करेंगे। इसी के साथ आपदा प्रभावित स्थलों तक पहुंचने हेतु वैकल्पिक मार्गों की पहचान कर उसका भी रोडमैप तैयार करेंगे और सभी प्रपत्र विभाग के राज्य मुख्यालय तथा जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण को प्रस्तुत कर देगें।

3.3 संसाधन मानचित्रण

- राज्य स्तर पर मुख्य अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग की तरफ से जारी निर्देश पत्र के अनुसार प्रत्येक वर्ष अप्रैल माह में डिवीजन स्तर पर कार्ययोजना बनाकर एक जिले की सभी डिवीजन की कार्ययोजना को अधीक्षण अभियन्ता कम्पाइल करके डीएम को प्रस्तुत करेंगे। साथ ही उसकी एक प्रति विभाग के जनपद एवं राज्य कार्यालय में भी जमा कर देंगे।

- आपदा के तत्काल बाद विभागीय क्षति को समय से पूरा करने के लिए मार्च–अप्रैल माह तक जनपद स्तर पर अधिशासी अभियन्ता अपने तकनीकी स्टाफ के साथ मिलकर ठेकेदार, मजदूरों एवं ठेकेदारों के पास उपलब्ध उपकरणों को चिन्हित कर उनकी विस्तृत सूची तैयार कर लेंगे। इसके साथ ही बड़े पैमाने पर आने वाली आपदा की स्थिति से निपटने के लिए बड़े–बड़े संसाधनों जैसे जेसीबी मशीन, कटर, ट्रकों आदि के मालिकों की पहचान कर उनकी सूची भी तैयार कर ली जायेगी। तैयार सूची को जिला प्रशासन/जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण को सौंप देंगे।

- चिन्हित ठेकेदारों के साथ टेण्डर निकालने का कार्य मार्च माह में अधिशासी अभियन्ता करेंगे। टेण्डर के आधार पर पंजीकृत ठेकेदारों से उपकरण व मानव संसाधन किराये पर लेकर विभाग के पास रखवाने का कार्य अधिशासी अभियन्ता एवं उनके तकनीकी स्टाफ द्वारा किया जायेगा।

- अधिशासी अभियन्ता के निर्देशन में कनिष्ठ अभियन्ता (विद्युत यांत्रिक) विभागीय स्तर पर उपलब्ध मशीनों एवं गाड़ियों की जांच करेंगे तथा विभाग स्तर पर उपलब्ध वाहनों एवं मशीनों के लिए डीजल आदि की उपलब्ध सुनिश्चित करेंगे। यह कार्य उनके द्वारा प्रत्येक त्रैमास में (अप्रैल, जून, अक्टूबर व जनवरी) में किया जायेगा।

3.4 सुरक्षात्मक उपाय

- जनपद स्तर पर अधिशासी अभियन्ता के निर्देश पर सहायक अभियन्ता व कनिष्ठ अभियन्ता जून से पहले विभाग के अन्दर आने वाले राज्यमार्गों, मुख्य जिला मार्गों, अन्य जिला मार्गों व ग्रामीण मार्गों की मरम्मत करवा लेंगे व नालियों तथा स्कपर/कलवर्ट की सफाई सुनिश्चित करेंगे।

- कनिष्ठ अभियन्ता अपने अधिकार क्षेत्र में पड़ने वाले भूस्खलन प्रभावित जोनों के चिन्हित मार्गों के मरम्मत हेतु प्राक्कलन तैयार कर स्वीकृति हेतु अधिशासी अभियन्ता को प्रस्तुत करेगा। अधिशासी अभियन्ता अधीक्षण अभियन्ता के माध्यम से उसे विभागाध्यक्ष कार्यालय को उसे राज्य मुख्यालय में अग्रसारित करेंगे, जहां से उस मद में धन का आवंटन होगा। आवंटित धनराशि के अनुरूप कनिष्ठ अभियन्ता यथासम्भव उस क्षेत्र की मरम्मत करायेंगे ताकि आपदा की स्थिति में नुकसान कम से कम हो। इसके साथ ही स्थान–स्थान पर चेतावनी बोर्ड भी लगाने की जिम्मेदारी सहायक/कनिष्ठ अभियन्ता की होगी। उपरोक्त सभी कार्य जून माह से पहले हो जायेंगे।

- विभाग के समस्त पुलों का निरीक्षण माह मई में विभागीय सक्षम अधिकारी द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा एवं कमियों का निराकरण मानसून से पूर्व सुनिश्चित किया जायेगा, इसकी प्रति मुख्य अभियन्ता को भेजी जायेगी तथा यदि कोई कमी है तो तुरन्त निदान किया जायेगा, इसके लिए निरीक्षण रिपोर्ट भेजने के एक सप्ताह के अन्तर्गत आगणन भी प्रमुख अभियन्ता को भेजा जायेगा।

3.5 क्षमतावर्धन व माकड्रिल का आयोजन

- राज्य एवं जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण द्वारा आपदा से बचाव हेतु समय–समय पर राज्य एवं जनपद स्तर पर आयोजित किये जाने वाले पूर्वाभ्यासों में विभाग अपने अधिकारियों को नामित करेगा व सक्रिय सहभागिता सुनिश्चित करेगा।

- अधिशासी अभियन्ता विभाग के राज्य मुख्यालय में आपदा नोडल अधिकारी से वार्ता कर विभाग के अन्दर सक्षम अधिकारियों/कर्मचारियों को आपदा से बचाव हेतु प्रशिक्षित करने की प्रक्रिया आरम्भ करेंगे। इस हेतु वह जनपद स्तर पर स्थापित आपदा प्रबन्धन कार्यालय से सहयोग ले सकते हैं।

- जनपद प्रशासन की यह जिम्मेदारी होगी कि वह विभिन्न विभागों के बीच आपसी समन्वयन को बढ़ावा देते हुए सम्बन्धित सभी विभागों के प्रक्षेत्र स्तर के कर्मचारियों के बीच आपदाओं की समझ विकसित करें।

4. सूचना का प्रवाह व क्रियाशीलता हेतु मार्ग निर्देश

किसी भी आपदा की स्थिति में विभाग के अन्दर सूचना दो माध्यमों से प्राप्त हो सकती है –

i) जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण के साथ संयुक्त रूप से बने व्हाट्सग्रुप के माध्यम से– सभी सहायक अभियन्ता व कनिष्ठ अभियन्ता इस ग्रुप से जुड़े होंगे। जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण द्वारा इस ग्रुप पर आपदा अलर्ट जारी कर दिया जायेगा और तत्काल सम्बन्धित सहायक अभियन्ता/कनिष्ठ अभियन्ता आपदा स्थल पर पहुंचकर अपना कार्य शुरू कर देंगे।

ii) साइट पर दौरा करने वाले सहायक अभियन्ता/कनिष्ठ अभियन्ता को आपदा की स्थिति का पता चलते ही वह भी इसे तुरन्त व्हाट्सअप ग्रुप पर डालकर सभी को सूचना देगा और अपने कार्य को जारी रखेगा। सहायक अभियन्ता/कनिष्ठ अभियन्ता को आपदा की स्थिति की सूचना स्थानीय स्तर पर काम करने वाले मेट/बेलदार से भी मिल सकती है।

5. दिशा-निर्देशन एवं समन्वयन

राज्य स्तर पर विभागाध्यक्ष/मुख्य अभियन्ता के निर्देशन में जनपद स्तर तक के अधिकारी/कर्मचारी कार्य करेंगे और आपदा के सन्दर्भ में उनके लिए स्पष्ट दिशा निर्देश देंगे। सभी वाहन एवं उनके चालकों को अपने कार्य करने का बिन्दु पता होगा और वे उसी के आस–पास स्थापित रहेंगे ताकि मौके पर तुरन्त कार्य सम्पादन कर सकें। फिर भी आपदा के समय विभाग की सक्रियता की स्थितियों का निर्धारण दो परिस्थितियों पर निर्भर करेगा–

5.1 पहले से चेतावनी मिलने की स्थिति में सक्रियता

किसी भी आपदा की संभावना होने पर मौसम विभाग द्वारा राज्य आपातकालीन परिचालन केन्द्र को 48 से 72 घण्टे पहले चेतावनी जारी कर दी जायेगी। राज्य आपातकालीन परिचालन केन्द्र से विभाग के राज्य मुख्यालय को चेतावनी जारी की जायेगी और यह निर्देश भी जारी किया जायेगा कि विभाग तत्काल सुरक्षात्मक कदम उठाये। राज्य मुख्यालय से डिवीजन एवं जनपद स्तर पर आपदा के सन्दर्भ में चेतावनी जारी कर उससे निपटने हेतु तत्काल आवश्यक कार्यवाही करने का निर्देश जारी किया जायेगा। जहां से क्रमशः यह चेतावनी अधिशासी अभियन्ता से होते हुए सहायक व कनिष्ठ अभियन्ता तक पहुंचेगा और वे अपनी–अपनी तय जिम्मेदारियों को करना सुनिश्चित करेंगे।

5.2 चेतावनी न मिलने की स्थिति में सक्रियता

इस स्थिति में आपदा की चेतावनी आपदा घटित होने से कुछ देर पहले ही मिलेगी। जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण जिलाधिकारी के माध्यम से विभाग को आपदा के सन्दर्भ में चेतावनी जारी करेगा। विभाग के आपदा नोडल अधिकारी सहित सभी कनिष्ठ व सहायक अभियन्ता एक व्हाट्सअप ग्रुप के माध्यम से जुड़े रहेंगे और जैसे ही ग्रुप पर इस तरह की कोई चेतावनी जारी होगी, तत्काल सम्बन्धित कनिष्ठ व सहायक अभियन्ता आपदा स्थल पर पहुंचेंगे और कार्यवाही सुनिश्चित करेंगे। प्रत्येक डिवीजन स्तर पर स्थापित नियन्त्रण कक्ष से भी चेतावनी/ सूचनाओं का आदान–प्रदान होता रहेगा और नियन्त्रण कक्ष के इंचार्ज के तौर पर सहायक अभियन्ता स्वयं से कार्यों को सम्पादित करेगा और टेलीफोन के माध्यम से अपने सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता को स्थिति की सूचना देता रहेगा और निर्देश लेता रहेगा।

तीव्रता के आधार पर क्रियाशीलता के स्तरों का निर्धारण

आपदा की तीव्रता के आधार पर क्रियाशीलता के एल 1 एल 2 व एल 3 स्तर का निर्धारण होगा। आपदा का प्रतिपादन करने हेतु नियोजन भी उपरोक्त तीन स्तरों के आधार पर की जानी होगी। स्तरों के आधार पर नियोजन निम्नानुसार होगा–

एल–1 आपरेशन

यह क्रियाशीलता का न्यूनतम स्तर होता है। इस स्तर में कुछ ही लोगों की आवश्यकता होती है। मुख्यतः इस स्तर में योजनाएं बनाने, सूचनाएं प्रसारित करने जैसा कार्य प्रमुख होता है। उदाहरणस्वरूप चेतावनी प्रसारित करना या कुछ निम्न स्तरीय घटनाओं से सम्बन्धित योजना बनाना आदि इस स्तर में शामिल होते है।

एल–2 आपरेशन

इस स्तर के आपरेशन के दौरान अधिक आपदा बचाव कार्यकर्त्ताओं की आवश्यकता पड़ती है। इस स्तर की आपदा में जिला नोडल अधिकारी सभी क्रियाओं का संचालन एवं समन्वयन कर सकता है।

एल–3 आपरेशन

एल–3 स्तर की आपदाओं में विभाग से जुड़े सभी लोगों की क्रियाशीलता एवं संलिप्तता आवश्यक होती है। यह स्तर सामान्यतः उस दशा में लागू किया जाता है, जब आपदा का समय पूर्व निर्धारित हो और आपदा की तीव्रता अत्यधिक हो। एल 3 स्तर के आपरेशन में राज्य आपातकालीन परिचालन केन्द्र के समन्वयन में विभागाध्यक्ष/मुख्य अभियन्ता के निर्देश पर विभाग प्रतिवादन करेगा।

6. आपदा के दौरान की जाने वाली गतिविधियों की प्रक्रिया

6.1 प्रथम चरण

- आपदा घटित होने की सूचना मिलते ही आई0आर0एस0 के अन्तर्गत प्रत्येक स्तर पर गठित टीम के सदस्य सक्रिय हो जायेंगे और राज्य व जनपद स्तर पर आपातकालीन परिचालन केन्द्र से सम्पर्क स्थापित कर स्टेजिंग एरिया में पहुंचेंगे।

- आपदा के दौरान प्रत्येक डिवीजन स्तर पर अधिशासी अभियन्ता के निर्देशन में नियन्त्रण कक्ष स्थापित हो जायेगा और सम्बन्धित क्षेत्र के सभी स्टाफ की ड्यूटी रोटेशन के आधार पर लगा दी जायेगी। यह नियन्त्रण कक्ष जिला आपदा नियन्त्रण कक्ष से नियमित सम्पर्क में रहेगा और अधिशासी अभियन्ता स्वयं अथवा उनके द्वारा नामित अधिकारी/कर्मचारी सूचनाओं का आदान–प्रदान करते रहेंगे।

- सम्बन्धित कनिष्ठ अभियन्ता आपदा संभावित अन्य मार्गों पर मेट व बेलदार की नियमित गश्त को बढ़ा देगा और तत्काल गैंगमैनों व स्थानीय तकनीकी–गैर तकनीकी स्टाफ को सूचित करेगा।

- एल 3 स्तर की क्रियाशीलता वाली आपदा की स्थिति में जिला प्रशासन द्वारा मांग करने पर अधिशासी अभियन्ता द्वारा मशीनों को अपने कार्यक्षेत्र से बाहर भेजकर भी काम कराया जायेगा।

6.2 द्वितीय चरण

- आपदा की स्थिति में सड़क अवरूद्ध होने की सूचना मेट व बेलदार द्वारा अपने कनिष्ठ अभियन्ता को दी जायेगी। कनिष्ठ अभियन्ता स्थिति की गम्भीरता की जानकारी अपने अधिशासी अभियन्ता को देगा और अवरूद्ध मार्गों को साफ कराकर यातायात व्यवस्था सुचारू करने का कार्य करेगा।

- मार्ग पर पेड़ आदि गिर जाने की स्थिति में कनिष्ठ अभियन्ता/सहायक अभियन्ता अपने अधिशासी अभियन्ता के माध्यम से सम्बन्धित विभाग (वन विभाग) से सम्पर्क कर उसे हटवाने का प्रयास करेंगे। अथवा अपने स्वयं के विभागीय संसाधनों से मलबा/पेड़ हटाने का कार्य करना प्रारम्भ कर देंगे और इस हेतु निकट स्थित मशीनों के चालकों को सूचित कर उन्हें वहां पर तत्काल पहुंचने के लिए कहेंगे।

7. आपदा के बाद की जाने वाली गतिविधियों की प्रक्रिया

आपदा बाद लेखा सम्बन्धी एवं अन्य विभिन्न प्रशासनिक कार्य व उनकी प्रक्रिया निम्नवत् होगी–

- आपदा घटित होने के 10–15 दिनों के अन्दर कनिष्ठ अभियन्ता सहायक अभियन्ता के साथ मिलकर विभागीय क्षति का आकलन करेंगे और इस्टीमेट बनाकर अधिशासी अभियन्ता द्वारा जिलाधिकारी के पास प्रेषित करेंगे। अधिशासी अभियन्ता उपरोक्त सारी सूचनाएं अधीक्षण अभियन्ता के माध्यम से मुख्य अभियन्ता को भी प्रेषित करेंगे।

- इस्टीमेट प्राप्त होने के बाद जिलाधिकारी के निर्देश पर एस0डी0एम0 एवं सम्बन्धित क्षेत्र का पटवारी आपदा से होने वाली क्षति का भौतिक सत्यापन करेंगे। तत्पश्चात् जिलाधिकारी कार्यालय से फण्ड रिलीज होने के बाद कनिष्ठ अभियन्ता अथवा सहायक

अभियन्ता व अधिशासी अभियन्ता नियमानुसार क्षति की मरम्मत का कार्यादेश/अनुबन्ध गठित कर निश्चित समयावधि में करते हुए कार्य पूर्ण करेंगे।

- जनपद स्तर पर अधिशासी अभियन्ता सहायक व कनिष्ठ अभियन्ता के साथ मिलकर आपदा के दौरान की जाने वाली गतिविधियों को दस्तावेजित करेंगे ताकि वर्तमान से सीख लेते हुए आगामी आपदा की स्थिति में विभाग की कार्य गुणवत्ता को बेहतर बनाया जा सके।

8. सुझाव

- हेलीपेड के निर्माण व रख–रखाव की जिम्मेदारी।
- वैकल्पिक ऊर्जा हेतु जेनरेटरों की व्यवस्था एवं रख–रखाव विद्युत विभाग से सम्बन्धित है।

9. चेकलिस्ट

आपदा पूर्व तैयारी

यह प्रपत्र विभागीय नोडल अधिकारी द्वारा भरकर जिला आपदा प्रबन्धन और राज्य स्तर पर विभागीय मुख्य अभियन्ता को सौंपा जायेगा–

कार्य किया गया	हॉ/नहीं	टिप्पणी
संस्थागत भूमिका एवं जिम्मेदारियों का निर्धारण निम्न एजेन्सियों/संस्थाओं से संचार व्यवस्था स्थापित की गई है– • राज्य आपातकालीन परिचालन केन्द्र • राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण • जिला आपातकालीन परिचालन केन्द्र • जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण • विभागीय कार्यालय (डिवीजन के अन्दर) • जिला प्रशासन		
विभाग के अन्दर डिवीजन स्तर पर नोडल अधिकारी की नियुक्ति की गयी है		
विभाग के अन्दर डिवीजन स्तर पर आपदा प्रबन्धन टीम का गठन किया गया है।		
डिवीजन स्तर पर सभी विभागीय अधिकारियों व कर्मचारियों की नाम, पता व सम्पर्क नम्बर सहित सूची तैयार कर ली गयी है।		
जनपद स्तर पर अधिशासी अभियन्ता जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण द्वारा तैयार व्हाट्सअप ग्रुप से जुड़े हैं।		
जोखिम आकलन संवेदनशील क्षेत्रों के सड़कों की पहचान करके रोडमैप तैयार कर लिया गया है।		
आपात स्थल तक पहुंचने के लिए वैकल्पिक मार्गों की व्यवस्था कर ली गयी है।		
यातायात हेतु सड़कों को खोलने की प्राथमिकता तय कर ली गयी है।		
संसाधन मानचित्रण विभागीय स्तर पर कार्य योजना तैयार कर ली गयी है।		
सभी डिवीजनों के लिए आपातकालीन उपकरण किटों का होना सुनिश्चित कर लिया गया है।		

कार्य किया गया	हॉ/नहीं	टिप्पणी
ड्राईवर को गाइड व सहायता के लिए पर्याप्त रोड साइन स्थापित किया गया है।		
आवश्यक उपकरणों जैसे – टोईंग वाहन, अर्थ मूविंग उपस्करण, क्रेन्स, जे0सी0बी0 आदि की उनके वाहन चालकों सहित सूची तैयार कर ली गयी है।		
सभी ठेकेदारों, मजदूरों व ठेकेदार के पास उपलब्ध उपकरणों की सूची तैयार कर ली गयी है।		
वाहनों व मशीनों के लिए डीजल की व्यवस्था की गयी है।		
सभी उपकरणों के रख–रखाव मरम्मत की व्यवस्था की गयी है।		
सभी कार्यरत टीमों को निकासी हेतु मार्गों के चिन्हीकरण की सूचना दी गयी है।		
क्षतिग्रस्त व संवेदनशील सड़कों/स्थलों की मरम्मत व सुधार कार्य सम्पन्न हो चुका है।		
निम्न स्थानों पर अस्थाई मार्ग का निर्माण किया गया है – • अस्थाई शिविर (ट्रान्जिट) • राहत शिविर • चिकित्सा केन्द्र		
क्षमतावर्धन व माकड्रिल जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण द्वारा आपदा के सम्बन्ध में पूर्वाभ्यासों में अधिकारियों/कर्मचारियों को भेजा जाता है।		
विभागीय अधिकारियों/कर्मचारियों को आपदा से बचाव हेतु प्रशिक्षित करने की प्रक्रिया की गयी है।		
आपदा की स्थिति में सूचनाओं का आदान–प्रदान करने की समुचित व्यवस्था की गयी है।		

आपदा के दौरान

यह प्रपत्र विभागीय नोडल अधिकारी द्वारा भरकर जिला आपदा प्रबन्धन/जिलाधिकारी को सौंपा जायेगा–

कार्य किया गया	हॉ/नहीं	टिप्पणी
आपदा घटित होने पर स्टेजिंग एरिया में पहुंचने के लिए अधिकारियों को सक्रिय किया गया है।		
आपदा के दौरान नियन्त्रण कक्ष की स्थापना की गयी है।		
मार्गों पर गिरे मलबों की साफ–सफाई कर दी गई है।		
मार्गों पर गिरे मलबों की साफ–सफाई में समुदाय का जुड़ाव सुनिश्चित किया गया है।		
आपदा प्रभावित क्षेत्रों में वन विभाग के सहयोग से सड़कों के किनारे पेड़ों की छंटाई की गयी है।		
सड़क पर पड़े मलबों की सफाई, घास की कटाई व गढ्डों की भराई कर ली गयी है।		

आपदा के बाद

यह प्रपत्र विभागीय नोडल अधिकारी द्वारा भरकर जिला आपदा प्रबन्धन/जिलाधिकारी को सौंपा जायेगा–

कार्य किया गया	हॉ/नहीं	टिप्पणी
विभागीय क्षति का आकलन कर जिलाधिकारी व डिवीजन स्तर पर अधिशासी अभियन्ता को प्रस्तुत कर दिया गया है।		
जिला प्रशासन के सहयोग से आपदाओं का भौतिक सत्यापन करा लिया गया है।		
आपदा के दौरान किये गये कार्यों का दस्तावेज तैयार कर लिया गया है।		

उपरोक्त मानक प्रचालन कार्यविधि का अनुमोदन निम्न विभागीय स्तर पर गठित समिति द्वारा किया गया।

एन0एस0 खोलिया	आर0एस0 सयाना	आर0सी0 अग्रवाल	राजेश शर्मा	आर0सी0 पुरोहित
(सदस्य/सचिव)	(सदस्य)	(सदस्य)	(सदस्य)	(अध्यक्ष)

नोट

नोट